



स्वास्थ्य निदेशालय झारखण्ड, राँची।

E-Mail: - Jhr.healthdirector4@gmail.com



सं०सं०- स्वा०नि०/23/मु०स्था०-39/2026- 1274(23)

राँची, दिनांक 31/07/2026

आदेश

दिनांक 28 जुलाई 2026 को सम्पन्न स्थापना समिति, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची की बैठक में लिये गये निर्णय तथा विभाग से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में स्थानांतरण हेतु अनुशंसित निम्नलिखित लिपिकों को उनके नाम के सामने कॉलम-03 में अंकित स्थान से स्थानांतरित करते हुए कॉलम-04 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मि का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, राँची।	सिविल सर्जन कार्यालय, गुमला।	प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यहित में।
2	श्री अशोक लाल लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, गुमला।	सिविल सर्जन कार्यालय, पाकुड़।	तथैव।
3	श्री विजय ठाकुर लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, पाकुड़।	सामु० स्वा० केन्द्र, बोलबा, सिमडेगा।	तथैव।
4	श्री शिवनारायण प्रसाद लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, नामकुम, राँची।	सामु० स्वा० केन्द्र, महेशपुर, पाकुड़।	तथैव।
5	श्री मनीष कुमार साहू लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, डुमरी, गुमला।	सामु० स्वा० केन्द्र, पकुड़िया, पाकुड़।	तथैव।
6	श्री रामपरवेश लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, महेशपुर, पाकुड़।	सामु० स्वा० केन्द्र, नामकुम, राँची।	तथैव।
7	श्री जीतवाहन उरॉव लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, भरनो, गुमला।	सामु० स्वा० केन्द्र, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़।	तथैव।
8	श्री अतुल राज फणीक लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, बसिया, गुमला।	सामु० स्वा० केन्द्र, जरमुण्डी, दुमका।	तथैव।
9	श्री अमरनाथ प्रसाद लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, चैनपुर, गुमला।	सामु० स्वा० केन्द्र, चान्हो, राँची।	तथैव।
10	श्री राजवंशी लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, चान्हो, राँची।	सामु० स्वा० केन्द्र, चैनपुर, गुमला।	तथैव।
11	श्री अनिल मरांडी लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़।	सामु० स्वा० केन्द्र, भरनो, गुमला।	तथैव।
12	श्री रामानन्द महतो लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, पकुड़िया, पाकुड़।	सामु० स्वा० केन्द्र, डुमरी, गुमला।	तथैव।
13	श्री संजीव कुमार प्रधान लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, जरमुण्डी, दुमका।	सिविल सर्जन कार्यालय, राँची।	तथैव।
14	श्री रौशन कुमार लिपिक	प्रा० स्वा० केन्द्र, चटनिया, गढ़वा।	सामु० स्वा० केन्द्र, जलडेगा, सिमडेगा।	तथैव।
15	मो० सैयद नकी अहमद, लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, हजारीबाग।	सिविल सर्जन कार्यालय, चतरा।	कार्यहित एवं अभ्यावेदन के आधारपर तथैव।
16	श्री सुदेश कुमार लिपिक	ए०एन०एम० प्रशिक्षण स्कूल, देवघर।	जिला यक्ष्मा पदाधिकारी कार्यालय, देवघर।	तथैव।

क्र० सं०	कर्मि का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
17	राणा शाहनवाज खान, प्रधान लिपिक	मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मेदिनीनगर, पलामू।	सिविल सर्जन कार्यालय, पलामू। (प्रधान लिपिक के पद पर)	कार्यहित एवं अभ्यावेदन के आधारपर
18	श्री अनिमेष कुमार घोष, लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, देवघर।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीरटाड़, गिरिडीह।	प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यहित में।
19	श्री सतीश कुमार, लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, पलामू।	सिविल सर्जन कार्यालय, जामताड़ा।	तथैव।
20	श्री अरविन्द प्रसाद, लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, जामताड़ा।	प्रा० स्वा० केन्द्र, चटनिया, गढ़वा।	तथैव।
21	श्री सुजीत कुमार, लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, जामताड़ा।	मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मेदिनीनगर,	तथैव।
22	श्री पंकज मंडल, लिपिक	सिविल सर्जन कार्यालय, जामताड़ा।	सामु० स्वा० केन्द्र, कोलेबिरा, सिमडेगा।	तथैव।
23	श्री दीपक कुमार पाण्डेय, लिपिक	मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, मेदिनीनगर, पलामू।	सिविल सर्जन कार्यालय, पलामू।	तथैव।
24	श्री जितेन्द्र कुमार, लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, कोलेबिरा, सिमडेगा।	सिविल सर्जन कार्यालय, जामताड़ा।	तथैव।
25	श्री शिवनंदन बड़ाईक, लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, जलडेगा, सिमडेगा।	ए०एन०एम० प्रशिक्षण स्कूल, देवघर।	तथैव।
26	श्री विजय महतो, लिपिक	सामु० स्वा० केन्द्र, बोलबा, सिमडेगा।	सामु० स्वा० केन्द्र, बसिया, गुमला।	तथैव।
27	श्री रमन कुमार, लिपिक	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग।	सिविल सर्जन कार्यालय, जामताड़ा।	तथैव।

- यह आदेश तत्काल प्रभाग से लागू होगा।
- अभ्यावेदन पर स्थानांतरित किये गये कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित कर्मियों को दिनांक 14.08.2026 तक निश्चित रूप से विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा दिनांक 17.08.2026 के पूर्वाह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
- स्थानांतरित स्थल पर पद रिक्त नहीं रहने पर संबंधित कर्मि का पदस्थापन संबंधित जिले के सिविल सर्जन/नियंत्री पदाधिकारी अपने स्तर से नियंत्रणाधीन रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित करत हुए इसका अनुमोदन स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मियों का पूर्व पदस्थापित स्थान से उनके पदस्थापन के संबंध में सत्यापित कराना सुनिश्चित करेंगे। स्थानांतरित कर्मियों के द्वारा स्थानांतरित स्थान पर निर्धारित तिथि तक योगदान करने अथवा नहीं करने वाले कर्मियों की सूचना स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड को दिनांक 20.08.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्थानांतरित कर्मियों का माह-अगस्त 2026 का वेतन नव-पदस्थापित स्थान से देय होगा। स्थानांतरण आदेश की सम्पुष्टि के उपरान्त ही वेतनादि का भुगतान किया जाय। सम्पुष्टि के बिना वेतनादि का भुगतान किये जाने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- स्थानान्तरित कर्मि यदि पूर्व से अन्य संस्थान में प्रतिनियुक्त हैं तो उनकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- उक्त स्थानांतरण हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त है।

1274(23)
31.07.2026

31/7/26
(डॉ० सिद्धार्थ सान्याल)
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।

सं०सं०- स्वा०नि०/23/मु०स्था०-39/2026- 1274(23)

राँची, दिनांक 31/07/2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं प० क० विभाग, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, स्वा० चि० शिक्षा एवं प० क० विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वा० सेवाएँ, झारखण्ड/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, झारखण्ड/राजकीय टीकौषधि प्रतिष्ठान, नामकुम, राँची/निदेशक, रिनपास, राँची/सभीराज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड/सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, झारखण्ड/अनुमंडलीय अस्पताल, झारखण्ड/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु० स्वा० केन्द्र/रेफरल अस्पताल/प्रा० स्वा० केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

A (31/7/26)

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।